

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1038/2025

Devilal Son Of Panna Lal

-----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Ms. Rajesh KUmari Kandwal, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

06/05/2026

आईए-1/25 पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त को दो वर्ष पांच माह के कारावास की सजा से दंडित किया गया था। दिनांक 14.07.2025 को दण्डादेश एक लाख रुपये के बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये के दो जमानती की शर्त पर स्थगित किया गया था, लेकिन करीब 10 माह व्यतीत होने के बावजूद अभियुक्त जमानती की व्यवस्था नहीं कर पाया है, उसके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है।

संबंधित पुलिस थाने से रिपोर्ट तलब की गयी, जिसके अनुसार अभियुक्त के परिवारजन अन्यत्र पलायन कर चुके हैं। दिनांक 14.07.2025 के दण्डादेश स्थगन आदेश के बावजूद अभियुक्त जमानती की व्यवस्था नहीं करपाया है और इस कारण वर्तमान समय में भी कारागृह में निरुद्ध है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 14.07.2025 के आदेश के माध्यम से दो जमानतियों की जो शर्त अधिरोपित की गयी थी, उसे विलोपित किया जाता है तथा अभियुक्त द्वारा मात्र पचास हजार रुपये का बंधपत्र पेश किये जाने पर उसकी सजा स्थगित किये जाने का आदेश दिया जाता है। दिनांक 14.07.2025 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

प्रार्थना पत्र इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है।

प्रकरण आठ सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J